

**मोप्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड**

**26, अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड भोपाल,**

**क्रमांक/बोर्ड/स्थापना/अ-2/2218/2023-24/615**

**भोपाल, दिनांक ०५/१०/२०२३**

-- परिपत्र --

मण्डी बोर्ड मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक/बोर्ड/विविध/अधि.शुल्क/पार्ट-2/29/  
2023-24/1171-1172 भोपाल, दिनांक 12.05.2023 द्वारा माननीय न्यायालयों में मोप्र० राज्य  
कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के विरुद्ध प्रस्तुत वादों, अपीलों तथा अन्य न्यायिक कार्यवाहियों में  
प्रभावी रूप से वाद प्रस्तुत करने, वादोत्तर तैयार करने, पक्ष समर्थन करने तथा अपील आदि  
प्रस्तुत करने हेतु अधिवक्ता शुल्क निर्धारण कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

परिपत्र की कण्ठिका 04 में प्रावधानित है कि "विशेष नीतिगत विधिक परामर्श  
एवं जटिल वैधानिक प्रकरणों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किये जाने अथवा अतिरिक्त<sup>व्यय</sup> की आवश्यकता परिलक्षित होने पर प्रबंध संचालक, निर्णय तथा अधिवक्ता शुल्क निर्धारण  
हेतु सक्षम रहेंगे जिसके लिए OIC द्वारा अपनी स्पष्ट अनुशंसा एवं आवश्यकता का उल्लेख कर  
विधिवत प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित किया जाकर अनुमति प्राप्त की जावेगी।"

कठिपय प्रकरणों में देखने में आया है कि न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में मण्डी  
बोर्ड की ओर से नियुक्त प्रभारी अधिकारियों द्वारा विशेष नीतिगत विधिक परामर्श एवं जटिल  
वैधानिक प्रकरणों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किये जाने अथवा अतिरिक्त व्यय की  
आवश्यकता परिलक्षित होने पर अपनी स्पष्ट अनुशंसा एवं आवश्यकता का उल्लेख कर विधिवत  
प्रस्ताव मुख्यालय की ओर प्रेषित कर पूर्व अनुमति नहीं ली गई तथा अपने स्तर पर ही निर्णय  
लेते हुए निर्धारित शुल्क से अधिक के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया  
जा रहा है। यह प्रक्रिया अनुचित एवं मुख्यालय के दिशा निर्देशों के विपरीत है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि मण्डी बोर्ड मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक/  
बोर्ड/विविध/अधि.शुल्क/पार्ट-2/29/ 2023-24/1171-1172 भोपाल, दिनांक 12.05.2023 के दिशा  
निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये तथा प्रकरण विशेष में आवश्यकता होने पर मुख्यालय से  
अनुमति प्राप्त कर ही कार्यवाही की जावे। भविष्य में बिना पूर्व अनुमति के अधिवक्ता शुल्क  
भुगतान की कार्यवाही किये जाने पर अतिरिक्त व्यय की वसूली संबंधित प्रभारी अधिकारी से की  
जाएगी जिसके लिये संबंधित स्वयं उत्तरदायी होंगे।

*29/09/23*  
(श्रीमन् शुक्ला)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त  
मोप्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
*भोपाल*

--2--

क्रमांक/बोर्ड/स्थापना/अ-२/२२१८/२०२३-२४/ ६१६

भोपाल, दिनांक ०५/१०/२०२३

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक प्रबंध संचालक म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
2. अपर संचालक(समस्त)..... म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक(समस्त)..... म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/उपसंचालक म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय .....की ओर उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
5. सचिव कृषि उपज मंडी समिति (समस्त).....जिला.....की ओर उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु पालनार्थ।
6. समस्त शाखा .....की ओर पालनार्थ।
7. परिपत्र नस्ती।

d

प्रबंध संचालक सह आयुक्त  
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
भोपाल